कार्यालय, अध्यक्ष काउंसलिंग समिति, तकनीकी शिक्षा संचालनालय, मध्यप्रदेश

चतुर्थ तल, सतपुड़ा भवन, भोपाल–462004

एम.बी.ए.(पूर्णकालिक) पाठ्यक्रम के प्रथम वर्ष द्वितीय चरण में प्रवेश हेतु

(मध्यप्रदेश में स्थित शासकीय/स्वशासी/अनुदान प्राप्त/स्ववित्तीय/निजी इंजीनियरिंग संस्थान)

एम.बी.ए.(पूर्णकालिक) द्वितीय चरण काउंसलिंग

दिनांक 22/07/2019

प्रथम चरण आवंटन/अपग्रेडेशन प्रथम चरण आवंटन पश्चात संस्थाओं में प्रवेशित अभ्यथियों के लिये द्वितीय चरण में सम्मलित होने के लिये आवश्यक निर्देशः–

- **एम.बी.ए.(पूर्णकालिक)** पाठ्यक्रम में प्रथम चरण आवंटन एवं प्रथम चरण अपग्रेडेशन आवंटन के उपरान्त, शासकीय/स्वशासी/अनुदान प्राप्त/स्ववित्तीय संस्थानों में ए.आईसी.टी.ई. **(AICTE)** द्वारा शिक्षण शुल्क छूट योजना **(TFW)** के अंतर्गत 5 प्रतिशत अतिरिक्त सीटें उपलब्ध हुई हैं।
- यदि प्रथम चरण के प्रवेशित ऐसे अभ्यर्थी जिन्होने शिक्षण शुल्क छूट योजना**(TFW) के लिये अपने दस्तावेजों को अधिकृत सहायता केन्द्र से सत्यापित करवाया है और वे उपरोक्त** सीटों पर प्रवेश के इच्छुक हैं तो, प्रवेशित संस्था में प्रवेशित रहते हुये, द्वितीय चरण में उक्त शिक्षण शुल्क छूट योजना**(TFW)** सीटों पर प्रवेश के लिये प्राथमिकताक्रम का ऑनलाइन चयन कर लॉक कर सकते है। द्वितीय चरण में शिक्षण शुल्क छूट योजना**(TFW)** सीटों पर नवीन आवंटन प्राप्त होने पर, पूर्व में प्रथम चरण में प्रवेशित संस्था से प्रवेश, स्वतः ही निरस्त हो जायेगा, अभ्यर्थी को आवंटित नवीन संस्था में प्रवेश की कार्यवाही, द्वितीय चरण की समय सारणी अनुसार करनी होगी। द्वितीय चरण में शिक्षण शुल्क छूट योजना**(TFW)** सीटों पर आवंटन प्राप्त नहीं होने की स्थिती में प्रथम चरण की प्रवेशित संस्था का प्रवेश यथावत रहेगा।
- प्रथम चरण में प्रवेशित एवं शिक्षण शुल्क छूट योजना**(TFW)** सत्यापित उम्मीदवार द्वितीय चरण काउसंलिंग में यदि शिक्षण शुल्क छूट योजना**(TFW)** के स्थानों के साथ–साथ सामान्य पूल की सीटों पर भी प्राथमिकता चयन करने के इच्छुक है तब उनकों प्रथम चरण की प्रवेशित सीट पर से अपना प्रवेश निरस्त करना अनिवार्य होगा, तत्पश्चायत ही वे द्वितीय चरण की आगामी कार्यवाही पूर्ण कर सकेंगे।
- प्रथम चरण में प्रवेशित व शिक्षण शुल्क छूट योजना**(TFW)** सत्यापित उम्मीदवारों को शासकीय/स्वशासी/अनुदान प्राप्त/स्ववित्तीय संस्थानों में केवल शिक्षण शुल्क छूट योजना**(TFW)** सीटों पर प्राथमिकता चयन को लॉक करने हेतु पोर्टल शुल्क रू 100/– का भुगतान कर कार्यवाही संपादित कर सकेंगे। शेष अन्य अभ्यर्थीयों को पूर्वानुसार जारी निर्देशों का पालन करना होगा।
- प्रथम चरण में प्रवेशित अभ्यर्थी यदि द्वितीय चरण की रिक्त सभी सीटों पर प्रवेश के इच्छुक हैं तब वे प्रथम चरण का प्रवेश निरस्त करवा कर द्वितीय चरण की काउसंलिंग में सम्मलित हो सकते हैं।

प्रवेश नियम, विस्तृत समय–सारणी, अभ्यर्थी मार्गदर्शिका/काउंसलिंग प्रक्रिया, अधिकृत सहायता केन्द्रों की सूची आदि अधिकृत वेबसाइट dte.mponline.gov.in पर उपलब्ध है। काउंसलिंग में सम्मिलित होने के पूर्व इनका सूक्ष्मता से अध्ययन कर लें।

संपर्कः– 0755-6720205, 2660441

अध्यक्ष–काउंसलिंग समिति एवं
संचालक तकनीकी शिक्षा
मध्यप्रदेश